रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230264
CG-DL-E-08102021-230264

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3812] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/ आश्विन 16, 1943
No. 3812] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ ASVINA 16, 1943

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

का.आ. 4147(अ).—दिनांक 17.08.2006 को अधिसूचित और 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) के निम्नलिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना की तारीख से एनसीआरटीसी में उनके कार्यकाल के समाप्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपर्युक्त नियम में उनके नामों के निमित्त दी गई अर्हताओं और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, नीचे उनके नामों के समक्ष उल्लिखित पदों पर नियुक्त करती है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री रवि शंकर चतुर्वेदी, जीजीएम/ट्रैक्शन	मुख्य वैद्युत निरीक्षक
2.	श्री गजेंद्र कुमार, जीजीएम/यूजी	वैद्युत निरीक्षक
3.	श्री अविनाश सिंह कुशवाह, जीजीएम/आरएस	वैद्युत निरीक्षक

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों को समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, एनसीआरटीसी के नियंत्रणाधीन/एनसीआरटीसी

से संबंधित क्षेत्रों में प्रचालनाधीन वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक से संबंधित प्रकार्यों अथवा कार्यों और वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में एनसीआरटीसी द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्रों में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

यह सुनिश्चित किया जाए कि एनसीआरटीसी के उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी किसी भी वैद्युत कार्य अथवा संस्थापनाओं, जिसका निष्पादन अथवा रख-रखाव करना उनका दायित्व है, के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

मुख्य वैद्युत निरीक्षक/वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा. सं. 42/9/2021-आर एण्ड आर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

S.O. 4147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, powers and functions of Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 (herein after called the said Rules) notified on 17.08.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints the following officials of National Capital Region Transport Corporation (NCRTC) to the post mentioned against their names below from the date of this notification till the end of their tenure in NCRTC or till further orders, whichever is earlier, subject to fulfilment of the qualifications given against their names and on such conditions as mentioned in the said rules:

S. No.	Name	Post
1.	Sh. Ravi Shankar Chaturvedi, GGM/Traction	Chief Electrical Inspector
2.	Sh. Gajendra Kumar, GGM/UG	Electrical Inspector
3.	Sh. Avinash Singh Kushwah, GGM/RS	Electrical Inspector

The above mentioned officers shall exercise the powers and perform his functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the NCRTC or in respect of works and electrical installations under the control of NCRTC/belonging to NCRTC, as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

It shall be ensured that the above-mentioned officers of NCRTC do not function as the Chief Electrical Inspector/Electrical Inspector in respect of any electrical work or installation, the execution or maintenance of which is his responsibility.

The person appointed as Chief Electrical Inspector/Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F. No. 42/9/2021-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.08 22:34:56 +05'30'